114

-1

दस रुपये
TEN RUPEES

पाँच रुपये
FIVE RUPEES

न्यायालयः– माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 71-II/2007 पुनर्विलोकन

श्री .... द्वारा आज दि० 19-4-07 ...को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

1. नारायण सिंह
2. राम जी पुत्रगण परमाल सिंह
3. श्रीपाल पुत्र बिहारी
निवासी ग्राम स्यारू तह0 जौरा जिला मुरैना म0प्र0

– आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

– अनावेदक

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय मान. राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रक0 1038/1/2006 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31/07/06 जानकारी दिनांक से अवधि अन्दर प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

पुनर्विलोकन के संक्षेप में तथ्य :–

यह कि प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि विवादित ग्राम स्यारू तह जौरा जिला मुरैना में स्थित भूमि सर्वे क0 71/1 रकवा 5 वीघा 5 विस्वा भूमि का व्यवस्थापन कब्जे के आधार पर दिनाक 02/10/84 के पूर्व से निरन्तर होने के आधार पर आवेदकगण द्वारा विचारण तह0 न्यायालय जौरा के समक्ष प्र0क0 33/अ–19/88 89 पर प्रकरण पंजीब्ध किया जाकर विधिवत उदघोषणा जारी की गई आपत्तियॉं बुलाई गई समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई एवं ग्राम पंचायत से अभिमत चाहा ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से आवेदकगण के हित में प्रस्तुत का बताया गया कि प्रश्नाधीन पर आवेदकगण का लम्बे समय से कब्जा होने से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। तथा उक्त भूमि का आवेदक के हित में व्यवस्थापन कर दिया जावे। स्थल निरीक्षण हल्का पटवारी से कराया गया एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और कथन पटवारी के लिपिबद किये गये एवं आवेदकगण के कथन कराये गये तथा स्वतंत्र

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 711–दो/07 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-11-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक निग0 1038–एक/06 में पारित आदेश दिनांक 31–7–06 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को लिखित तर्क पेश करने हेतु समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा पुनरावलोकन आवेदन में दिए गए आधारों का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेष पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पष्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेष किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	